संख्या 1509 ई-2/तेरह-2022- 1584288

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 26 अगस्त, 2022

**विषय- मेसर्स मोदी डिस्टिलरी , मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में 32 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन से ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने हेतु प्लान्ट आसवनी परिसर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः जी -86/दो-प्रा. डी.-45/मोदी, दिनांक 16-12-2021 एवं पत्र संख्याः जी -187/दो-प्रा. डी.-45/मोदी, दिनांक 28-06-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित में मेसर्स मोदी डिस्टिलरी , मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को शीरे पर आधारित 30 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को डिस्मेन्टल करके 32 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 112 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की केवल ग्रेन पर आधारित प्लान्ट जिसके अन्तर्गत 112 लाख लीटर क्षमता के अन्तर्गत ग्रेन ई.एन.ए. का उत्पादन कर 90 प्रतिशत तक पेय मदिरा एवं शेष 10 प्रतिशत औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

**(क)** प्रश्नगत आसवनी/ इकाई द्वारा गैर शीरा पदार्थों से एथनाल उत्पादन के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) ग्रेन से प्रश्नगत इकाई द्वारा उत्पादन के परिपेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने , व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थपित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिपेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का

अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(ग) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 15-06-2021 द्वारा निर्गत "नो इन्क्रीज इन पलूशन लोड" प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तें।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by राजवीर सिंह
Date: 26-08-2021 18:23:06
Reason: Approved

(राजवीर सिंह)
अमु सचिव